राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 409/2024

अंकिता चाहर —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, नगर परिषद्, झुन्झुनूं।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.02.2024
आदेश की दिनांक : 29.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पूनिया, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर नगर परिषद् झुन्झुनूं में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण नगर परिषद् झुन्झुनूं से नगर पालिका शाहपुरा (जयपुर) बिना प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित के 250 कि.मी. दूर किया गया। अपीलार्थी 6 माह से अधिक की गर्भवती है और उसकी डिलवरी में केवल 3–4 माह शेष है (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी का ईलाज भी झुंझूनू में ही चल रहा है। अपीलार्थी के पति भारतीय सेना में कार्यरत है। अपीलार्थी के पति के कैंटीन कार्ड की प्रति अनुलग्नक–3 पर अवलोकनीय है। आलौच्य आदेश में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित या यात्रा भत्ता एवं योगकाल के अनुदान पर जारी किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.02.2024 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी के संबंध में अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को निरन्तर नगर परिषद् झुन्झुनूं में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी 06 माह से अधिक की गर्भवती है तथा उसकी डिलवरी में केवल 3 से 4 माह का समय ही शेष है। अपीलार्थी का ईलाज झुंझूनू में ही चल रहा है एवं पति भारतीय सेना में तैनात है। अतः उपर्युक्त मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अभ्यावेदन को किसी विशिष्ठ ढंग/रिती से निस्तारित करने का निर्देश नहीं दे रहा है। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 19.02.2024 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य